-प्रेस नोट-

दिनांकः-16.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहरारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान 01 शातिर **अभियुक्त परवेज पुत्र युसुफ निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को चाँद बिरयानी ढाबे के सामने अम्बाला सहारनपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 मोटरसाइकिल अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज व 01 अदद चाकू नाजायज बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 262/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः -

परवेज पुत्र युसुफ निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अदद चाकू
- 01 मोटर साईकिल नं0 UP11AA 2680 CD डीलक्स (सीज)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री विनय कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 71 प्रदीप सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 16.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा मात्र 17 घण्टे में वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 15.07.2025 को वादी श्री नाहिद पुत्र अहसान निवासी गांव मीरपुर सीतापुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाईकिल हीरो स्पलेन्डर नम्बर यू0पी0 11 सीपी 7690 को चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0स0 261/2025 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल वाहन चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वाहन चोर/नकबजन/लुटेरे अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सरसावा श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 16.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वाहन चोरी की घटना का सफल नावरण करते हुए मात्र 17 घण्टे में 01 वाहन चोर/**अभियुक्त राहुल पुत्र जयपाल निवासी मौ0 मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को चोरी गई मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस रजि0 नं0 यू0पी0 11 सीपी 7690 सहित **ग्राम माजरीकलां जाने वाले रास्ते से** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै पढा लिखा नही हूँ और नशा करने का आदी हूँ। मैने अपनी नशे व अन्य जरुरतो को पूरा करने के लिए यह मो0साइकिल मौ0 हजारा कस्बा सरसावा से चोरी की थी जिसको मै आज बेचने के लिए जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राहुल पुत्र जयपाल निवासी मौ0 मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर रजि0 नं0 यू0पी0 11 सीपी 7690

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 1996 मोहित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 16.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी 01 मोटरसाईकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 15.07.2025 को शाहरूख पुत्र इशाक नि0 मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटर साईकिल स्पैलन्डर जिसका नं0 UP 11 C 5551 का चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना नानौता पर मु0अ0स0 159/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं चोरी की घटनाओं की रोकथाम व वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में नानौता पुलिस द्वारा थाना नानौता पर पजीकृत मु0अ0स0 159/25 धारा 303(2) बीएनएस की चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर वाहन चोर **अभियुक्त अभिषेक र्फ रंगीला पुत्र स्व राजेन्द्र निवासी मौहल्ला रेत्ती चौक थाना थानाभवन जिला शामली** को पुराना बस अड्डा नानौता से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से चोरी की गयी 01 मोटर साईकिल स्पैलन्डर जिसका नं0 UP 11 C 5551बरामद हुयी। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैने व मेरे एक अन्य साथी ने मिलकर दो दिन पहले रात मे मौ0 शेखजादगान मे महाराणा प्रताप कालोनी से घर के बाहर खडी एक मोटरसाईकिल चोरी कर ली थी। मै आज इस मोटरसाईकिल को बेचने की फिराक मे था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अभिषेक उर्फ रंगीला पुत्र स्व राजेन्द्र निवासी मौहल्ला रेत्ती चौक थाना थानाभवन जिला शामली

बरामदगी का विवरणः-

- 01 मोटर साईकिल हीरो स्पेलण्डर रजि0 नं0 UP 11 C 5551 (चोरी की गयी)

अभियुक्त अभिषेक उर्फ रंगीला का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 54/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0नगर जनपद मु0नगर
2. मु0अ0सं0 57/25 धारा 109बीएनएस व 25/28/3/9 बीएनएस थाना को0नगर जनपद मु0नगर
3. मु0अ0सं0 322/24 धारा 303(3)/317(2) बीएनएस थाना थानाभवन जनपद शामली
4. मु0अ0सं0 432/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना थानाभवन जनपद शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री धीरज सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. है0का0 839 कपिल राणा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. का0 2032 सचिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 16.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नियत से हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 14.07.25 को वादी श्री विक्रान्त शर्मा पुत्र श्री संजीव कुमार शर्मा निवासी ग्राम अम्बैहटी थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी की मोटर साईकिल के आगे से ना हटना व हटने के लिए कहने पर अपने 3-4 दोस्तो को बुलाकर वादी के ऊपर जान से मारने की नियत से चाकू से वादी की आँख पर वार कर घायल कर देने के संबंध में थाना नकुड़ पर **मु0अ0स0 238/25 धारा 109(1) भा0न्या0सं0** आरिफ उर्फ राजा पुत्र शहीद आदि 04 नपर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी व घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी हेतु निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 16.07.2025 को **अभियुक्त आरिफ उर्फ राजा पुत्र शहीद नि0 मौ0 कोटला कस्बा अम्बेहटा पीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को छुछकपुर मोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे/निशादेही से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद किया गया। **बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि** की गई। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- आरिफ उर्फ राजा उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 14.07.25 को शाम के करीब 7.00 बजे मेरा एक मोटरसाईकिल वाले से झगड़ा हो गया था, मैनें अपने मौहल्ले के ही साथियों को बुलाकर उसके साथ मारपीट कर दी थी। उसने मुझे गन्दी गाली दी तो मुझे बुरा लगा, तो अपने साथियो के कहने व गुस्से में आकर उस व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला कर दिया था। जिससे वह व्यक्ति घायल हो गया था। जिसके बाद हम लोग भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आरिफ उर्फ राजा पुत्र शहीद नि0 मौ0 कोटला कस्बा अम्बेहटा पीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- एक चाकू (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 आजाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 818 सचिन कुमार नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. कां0 1890 मोन्टी चौधरी नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 16.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी 01 साईकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 15.07.2025 को मोहित पुत्र लक्ष्मीदत्त निवासी मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बावत अभियुक्त आशीष पुत्र यशपाल निवासी छछरपुर थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादी की साईकिल चोरी कर ले जाने के संबन्ध मे थाना नानौता पर मु0अ0सं0 160/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में नानौता पुलिस द्वारा थाना नानौता पर पजीकृत मु0अ0सं0 160/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस की चोरी की घटना के का सफल अनावरण करते हुए वाहन चोर **अभियुक्त आशीष पुत्र यशपाल निवासी छछरपुर थाना बडौत जनपद बागपत** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से चोरी की गयी 01 साइकिल रेंजर जेटबर्ड रंग पीला बरामद हुयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै हरिद्वार जा रहा था मेरे पास पैसे नही थे तो मै ट्रैन से रेलवे स्टेशन नानौता उतर गया था और मै कस्बा मे घूम रहा था। मुझे शिव मन्दिर के बाहर एक साईकिल खडी दिखायी दी थी तो मैने मौका पाकर शिव मन्दिर के बाहर खडी साईकिल चोरी कर ली थी जब मै साईकिल लेकर जा रहा था तो मुझे पुलिस व वहाँ उपस्थित लोगो ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आशीष पुत्र यशपाल निवासी छछरपुर थाना बडौत जनपद बागपत

बरामदगी का विवरणः-

- 01 साइकिल रेंजर जेटबर्ड रंग पीला (चोरी की गयी उपरोक्त मुकदमा से सम्बन्धित)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नानौत जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 118 विपुल कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 16.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, पुलिस टीम द्वारा 03 शराब तस्कर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 24 बोतल अवैध देशी शराब (हरियाणा मार्का) बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अवैध शराब व नशीले पदार्थो की तस्करी व इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 16.07.2025 को गश्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण **1. सन्नी पुत्र जसवन्त निवासी ग्राम नसरूल्लागढ़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 2. सुनील पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम नसरूल्लागढ़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 3. अभिषेक पुत्र सेठपाल निवासी ग्राम नसरूल्लागढ़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को नसरूल्लागढ रोड पर स्थित सीडीएम हाईस्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 24 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 241/25 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अभि0गण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर एक स्वर में बताया कि हम यह शराब हरियाणा से कम दामो में लाकर यहाँ अधिक दामो में बेचते है। जिससे हमें काफी लाभ हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सन्नी पुत्र जसवन्त निवासी ग्राम नसरूल्लागढ़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. सुनील पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम नसरूल्लागढ़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. अभिषेक पुत्र सेठपाल निवासी ग्राम नसरूल्लागढ़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सन्नी उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 226/20 धारा 188, 269, 270 भादवि थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- 24 बोतल देशी शराब (हरियाणा मार्का)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. अतिरिक्त निरीक्षक श्री सिराजुद्दीन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री ओमेन्द्र मलिक थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 971 राशिद अली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 16.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा पशु चोरी की 03 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर पशु चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अवैध चाकू व 40,000 रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि **दिनाँक 23.05.2025 को वादी श्री रुपेन्द्र कुमार पुत्र कर्म सिंह निवासी ग्राम दरियापुर थाना ननौता जनपद सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घेर की दीवार तोड वादी के घेर से 02 पशु चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना नानौता पर मु0अ0स0 110/25 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया व **दिनांक 29.05.2025 को वादी श्री शिवलाल पुत्र चौहल सिंह निवासी ग्राम खुडाना थाना नानौता जनपद सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के 02 पशु चोरी कर ले जाने के संबन्ध मे थाना नानौता पर मु0अ0सं0113/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया व **दिनांक 06.06.2025 को वादी श्री कवंर सैन पुत्र दयाराम निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घेर से चार पशु चोरी कर ले जाने के संबन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 121/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/पशु चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर चोरो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी नानौता श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमों का सफल अनावरण करते हुए **02 शातिर चोर/अभियुक्तगण 1.शहजाद पुत्र इरशाद निवासी नई बस्ती कलियर शरीफ थाना कलियर जनपद हरिद्वार (उ0ख0) व 2. सलमान उर्फ टिंकू पुत्र पीरू निवासी ग्राम बढेडी राजपुतान थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार (उ0ख0)** को जडौदा पाण्डा नहर की पटरी भट्टे के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अवैध चाकू व 40,000/- रूपये नकद बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमो मे धारा 317(2) की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः - अभियुक्त शहजाद व सलमान उर्फ टिंकू उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग पशु चोर है तथा पशु चोरी करके बेचते है जिससे हम लोगो की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। हमने नानौता क्षेत्र में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कई गाँव में भैस चोरी की है व थाना नांगल क्षेत्र से अपने साथियों के साथ मिलकर पशु चोरी किये है और हम दोनो ने चोरी किये गये पशुओ को मौफीक पुत्र फुरकान निवासी कलियर महदूद रोड कस्बा व थाना कलियर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड के बेचा है। हमारे द्वारा मौफीक को बताया गया था कि यह पशु हमारे द्वारा चोरी किये गये है। कुछ दिन पहले भी हम लोग नानौता क्षेत्र में पशु चोरी करने के लिये आये थे। कि हमारी गाडी देवबन्द रोड पर लॉर्ड कृष्णा स्कूल के सामने एक्सीडैन्ट हो गई थी जिसे हम वही छोडकर भाग गये थे। उसी गाडी से हम लोगो ने थाना नागल क्षेत्र मे भी चोरिया की है। हम से जो रुपये बरामद हुए है वह चोरी किये गये पशुओं को बैच कर

जो हिस्सा हमे मिला था उनमे से बचे हुए शेष रुपये है। हम अपने पास तमंचा व कारतुस व चाकू लोगो को डराने व धमकाने लिए रखते है जो हमने राह चलते व्यक्ति से खरिदे थे। आज भी हम लोग यहाँ चोरी करने आये थे और अपने अन्य साथियो का इन्तजार कर रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. शहजाद पुत्र इरशाद निवासी नई बस्ती कलियर शरीफ थाना कलियर जनपद हरिद्वार (उ0ख0)
2. सलमान उर्फ टिंकू पुत्र पीरु निवासी ग्राम बढेडी राजपुतान थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार (उ0ख0)

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 110/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 113/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 121/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 178/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नागल जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 186/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नागल जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 105/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नागल जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 161/25 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 40000/- रुपये (चोरी किये गये पशुओं को बैच कर हिस्से मे आये रुपये मे से बचे हुए शेष रुपये)
- 01 तमंचा .315 बोर (अभियुक्त सलमान उपरोक्त से)
- 02 जिन्दा कारतुस (अभियुक्त सलमान उपरोक्त से)
- एक चाकू नाजायज (अभियुक्त शहजाद उपरोक्त से बरामद)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. है0का0 839 कपिल राणा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
7. का0 2032 सचिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांक- 16.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-09 जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के प्रयास में अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार 500 रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 16.04.23 को वादिया फरजाना खातून पत्नी इनाम निवासी मौ0 गौरी कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.शोएब पुत्र दिलशाद, 2.आयान पुत्र दिलशाद व 3.तबस्सुम पत्नी दिलशाद निवासीगण मौहल्ला गौरी कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर द्वारा वादिया के पुत्र के साथ मारपीट करना व जान से मारने की नियत से छाती पर चाकू से वार करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0स0-88/2023 धारा 323,324,307 भादवि व बढोतरी धारा 504,506 भादवि व 4/25 आम्र्स एक्ट के पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-1848/2023 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-09 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-09 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 17.07.2025 को अभियुक्त शोएब पुत्र दिलशाद नि0 मौ0 गौरी कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर को मु0अ0स0-88/2023 धारा 323,324,307,504,506,भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट मे दोषी पाते हुए 10 साल का कठोर कारावास व 25 हजार 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

नोट- अभियुक्तगण 1. आयान पुत्र दिलशाद व 2. तबस्सुम पत्नी दिलशाद निवासीगण मौहल्ला गौरी कस्बा व थाना गंगोह को धारा 504.506 भादवि मे 01-01 साल की सजा व 02 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय- अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री नीरज चौहान
विवेचक- उप निरीक्षक श्री नरेन्द्र भडाना
पैरोकार- का0 2393 आजाद सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।